

प्रेषक,

संख्या-631/मंस0(188)/20

डॉ० गहेन्द्र देव,
सरकार सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

महोदय
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत, बिहार नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (MOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 21-04-2017

विषय :-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थ बिहार, गाजियाबाद को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

संयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 03-04-2017 में लिये गये प्रस्ताव के अनुषंगान्त में सरकार के पत्र दिनांक 20-04-2017 के द्वारा प्राप्त नेशनल विल्डिंग कोड-2005 का प्रमाण-पत्र दिनांक 19-04-2017 के आधार पर उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

विद्यालय की प्रयोजित सासायटों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

प्रस्ताव के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण प्रस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय शैक्षिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा सञ्चालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उन्हें मदों में चार्ज किया जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की इतनी हानि चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों पर चार्ज किया जा रहा है। काइमन/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न लेया जाये।

सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी निर्णय लिये जायेंगे उसका पालन करेगी।

शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

नये कांटेक्ट निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

यस का प्रमाण समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जामित

माध्यमिक शिक्षा

- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि किसी संस्था में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की मान्यता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दिस्क्रीडिबल स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त संस्था से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (11) मुलक और अधिकार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सिद्ध किया जाये।
- (12) संस्था के भूगतिक परिसर (Underground) में कोई शिक्षण गतिविधियां चलाई न जायें।
- (13) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष विरामपुर तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
- (14) किसी संस्था यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तो लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सी०- 631 / मं०स० (188) / 2017 तद दिनांक।

वि निम्नलिखित को सेवा में सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मेरठ मण्डल, मेरठ।

2. अधिकारी गाजियाबाद।

3. सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4. निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. निदेशक निरीक्षक, गाजियाबाद।

6. किसी पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थ बिहार, गाजियाबाद।

डॉ०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ

21/11/17